

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक :- 173

दिनांक :- 26/4/12

कार्यालय आदेश

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक द्वारा प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक 22 दिनांक 26.4.12 के द्वारा आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं में शैक्षणिक संस्थाओं को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित / रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि के आवंटन पत्रों में मण्डल कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश में 5 प्रतिशत का आरक्षण एवं शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दिये जाने सम्बन्धित शर्त की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जारी किये गये कार्यालय आदेश क्रमांक प:/मुसप्र/कर्मचारी संघ/ समझौता /2012 /3182 को प्रत्याहरित (**withdraw**) किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में मुख्य सम्पदा प्रबन्धक के कार्यालय आदेश क्रमांक 3182 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक 168 दिनांक 26.4.12 के द्वारा निर्मित समिति जिसमें उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय/ आवासीय अभियन्ता खण्ड -6,9 एवं संघ पदाधिकारी श्री गुरदेव सिंह वरि. प्रारूपकार को मनोनीत किया गया था को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है । तथा कार्यालय आदेश क्रमांक 168 दिनांक 26.4.12 का अस्तित्व नगण्य माना जावेगा ।

उप आवासन आयुक्त वृत्त ॥

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजि सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
2. वरि. निजि सहायक - मुख्य अभियन्ता/सचिव/ मुख्य सम्पदा प्रबन्धक रा.आ.म. जयपुर।
3. वरि. निजि सहायक - वित्तीय सलाहकार /निदेशक विधि रा.आ.म. जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम /द्वितीय/ तृतीय/ रा.आ.म. जयपुर ।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त रा.आ.म. जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड .6/.9 पी एच ई प्रथम / अजमेर/श्री गुरदेव सिंह व. प्रारूपकार वृत्त द्वितीय मानसरोवर जयपुर
7. सम्बन्धित कर्मचारी संगठन के सदस्य
8. जन सम्पर्क अधिकारी रा.आ.म. जयपुर ।
9. एनिलिस्ट प्रोग्राम र कम्प्यूटर प्रकोष्ठ राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को मण्डल की वेब साईट पर डालने तथा सभी वृत्त कार्यालयों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित है ।
10. रक्षित पत्रावली ।

उप आवासन आयुक्त वृत्त ॥